संख्या-83/2015/1854/26-3-2015-10(19)/2008

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 07 अगस्त, 2015

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में नवनिर्मित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय नौगढ़, चन्दौली में आवश्यक जलापूर्ति एवं कतिपय अतिरिक्त कार्यो हेतु धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-438/26-ब0प्र0-2013-10(19)/2008, दिनांक 10.07.2013 के क्रम में आपके पत्र संख्या-329-30/स0क0/विकास/ए0टी0एस0-नौगढ़, चन्दौली (97)/2014-15, दिनांक-15.06.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवनिर्मित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय नौगढ़, चन्दौली में आवश्यक जलापूर्ति एवं कतिपय अतिरिक्त कार्यो हेतु रू0-112.99 लाख (एक करोड़ बारह लाख निनान्बे हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0 कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 (अनुबंध) करने के बाद ही आहरित करके कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कांन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कोरपोरेशन लि0 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि परियोजना की लागत में कास्ट ओवररन की स्थिति पैदा न हो और निर्धारित समय के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जा सके। धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नहीं रखी जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का आहरण वास्तविक उपयोगितानुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(3) उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-7899 -अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-बृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015, में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-83/2015/1854(1)/26-3-2015 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।

2.महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3.कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट कैसरबाग, लखनऊ।

4.जिलाधिकारी, चन्दौली ।

5.जिला समाज कल्याण अधिकारी, चन्दौली।

6.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3

7.प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कोरपोरेशन लि0।

8.निदेशक, एन0आई0सी0।

9.बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ ।

10.गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।